न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

<u>प्रार्थीगण</u>		<u>अप्रार्थीगण</u>
भेराराम पुत्र वेनारामजी जाति मेघवाल निवासी बडगांव तहसील शिवगंज जिला सिरोही	<u>बनाम</u>	1.छगनलाल पुत्र गोमलाजी 2.नरसाराम पुत्र गोमलाजी 3. लक्ष्मी पत्नी गोमलाजी 4.लसाराम पुत्र गोमलाजी 5.शंकरलाल पुत्र गोमलाजी जातिगण भील निवासीगण भेव तह0 शिवगंज 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 35/2024
दिनांक 27.05.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा भेव पटवार क्षेत्र बागसीन तहसील शिवगंज में स्थित है जिसके खसरा नं0 46 रकबा 0.5261 हैक्टयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिए तथा फसल बोने व जोतने, मवेशी, टेक्टर, बैलगाडी आदि के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी की वृद्धावस्था होने तथा प्रार्थी विकलांग होने तथा अपनी कृषि आराजी पर जाने हेतु सही रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को काफी काठीनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। तथा उक्त आराजी से संपर्क सडक करीबन 200 मीटर की दुरी पर हैं, जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु अन्य पडोसी खातादारान की कृषि आराजी में से गुजरना पड़ता है। वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार अप्रार्थी सख्यां एक ता पांच की कृषि भुमि खसरा संख्या 47 की पुर्वी माठ से होकर प्रार्थी अपने उपरोक्त खसरा सं 46 की कृषि आराजी में आना जाना होता हैं जिस रास्ता को सलंग्न नजरी नक्शे में मार्क ABCDEF से दर्शाया गया है। जो पिछले कई वर्षो से चला आ रहा था जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। जो रास्ता वर्तमान में अप्रार्थी संख्या एक ता पांच द्वारा बाड लगाकर बन्द कर दिया गया है। तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर उक्त रास्ते से आने जाने से अवरूद्ध किया जा रहा हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी में आने जाने के लिए खसरा सं 47 की पुर्वी माठ जों कृषि भूमि में से रास्ते की आवश्यकता है। उक्त रास्ता वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए यदि कोई शुल्क बनती हैं तों प्रार्थी राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त शुल्क अदा करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थी की ओर से निवेदन है की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे कास्त की कृषि भुमि खसरा सं 46 पर आने जाने हेतु नियमानुसार संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ABCDEF खसरा सं 47 के पुर्वी माठ की ओर से रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 364 दिनाक 03.07.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 31.07.2024 को अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नोटिस तामील होने व उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक 24[illegible] दिनांक 24.04.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है [illegible] के खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिये न्यूनतम पहुंच मार्ग खसरा नं0 48 [illegible] रास्ते से लगते हुए खसरा नं0 47 रकबा 8.4013 हैक्टयर जो छगनलाल, [illegible]लाल, पि0 गोमला व लक्ष्मी पत्नी गोमला जाति भील निवासी भेव की खातेदारी भूमि में से गुजरता है। [illegible] प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी के आराजी में आने जाने हेतु ग्राम भेव के खसरा नं0 47 रकबा 8.4013 हैक्टयर में से दिया जाना उचित बताया है प्रस्तावित रास्ता 101 मीटर लम्बा तथा 4 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षैत्रफल 404 वर्गमीटर बनता है। जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा नं0 48 से जुडता है। तथा लधुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई संरचना निर्मित नहीं है। दिनांक 27.05.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी बहस की व अपनी सहमति प्रदान की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्रकरण सं0 35/2024
भेराराम बनाम छगनलाल वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्व की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	छगनलाल पुत्र गोमला जाति भील व अन्य निवासीगण भेव तह. शिवगंज जिला सिरोही	47	101X4=404 वर्गमीटर	447000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	18059	36,118/–रूपये अक्षरे छत्तीस हजार एक सौ अठारह रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भेव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 46 रकबा 0.5261 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा भेव के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु मौजा भेव के खसरा नं0 47 रकबा 8.4013 हैक्टयर में से 4 मीटर चौडा एवं 101 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 404 वर्गमीटर की डीएलसी दर 4,47,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 18059/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 36118/– (छत्तीस हजार एक सौ अठारह रूपये)** का भुगतान प्रार्थी द्वारा संबंधित अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
दिनांक 27.05.2025

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

कमांक/कोर्ट/2025/ 307

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:58 IST
Reason: SelfAttested

रैनेमचर-1st

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला :सिरोही

तहसील : शिवगंज

दिनांक : 30/06/2024 01:01:44 PM

पटवारी हल्का :बागसीन

ग्राम : भेव

भू. अ. नि. क्षेत्र :पालडी

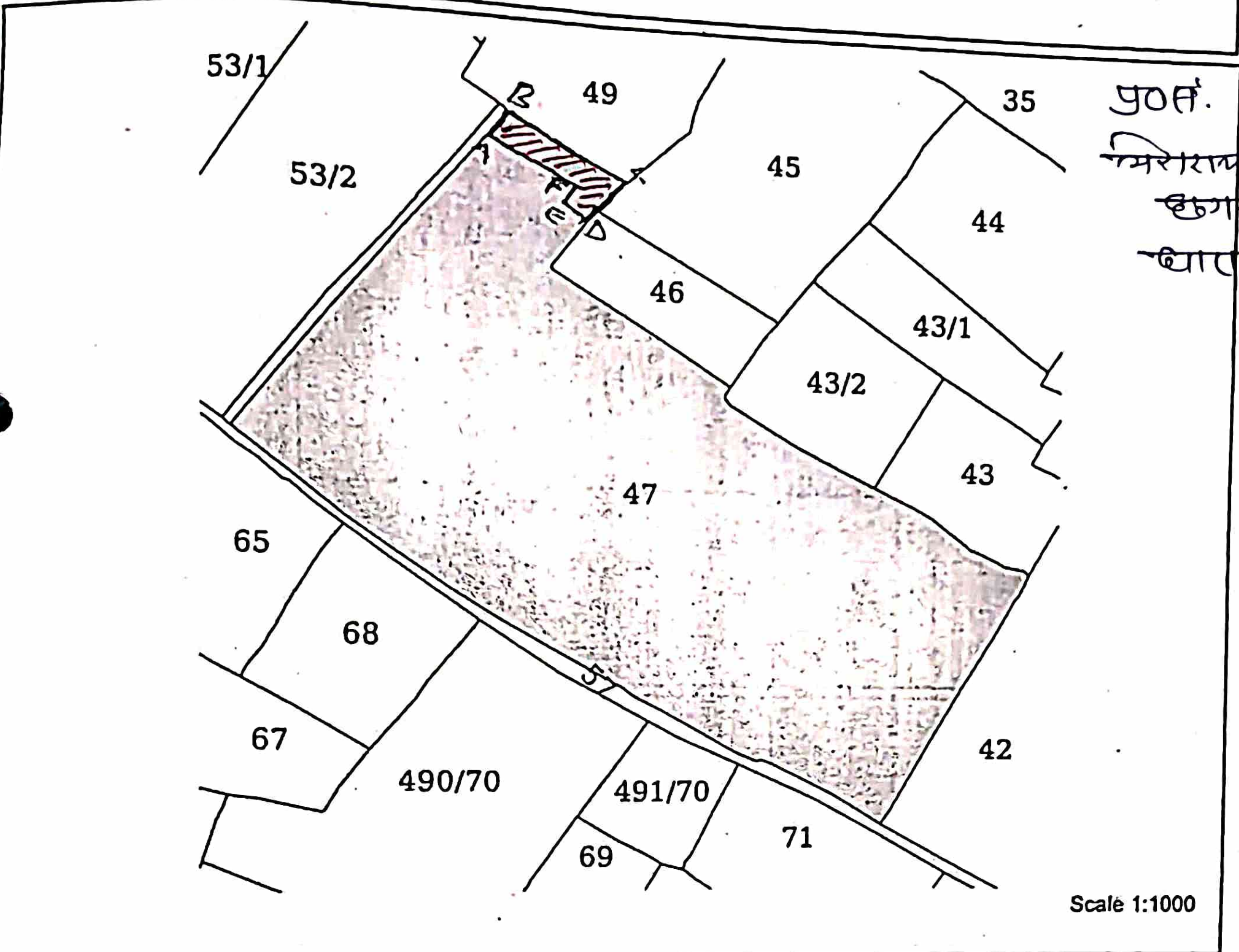

प्रक. 35/2024
सिरोही बनाम
छगनलाल वगैरह
खाता 251(क) RMA

खसरा सख्या :47 क्षेत्रफल : 8.4013 Hectare खाता सख्या : 380पुराना खाता सख्या :294

कृषि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: पडत I [3.5775, 2.68], ब 3 [4.8238, 6.90]

1.) छगनलाल पुत्र गोमला हिस्सा- 1/5 जाति- भील सा. देह खातेदार

2.) नरसाराम पुत्र गोमला हिस्सा- 1/5 जाति- भील सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा POSALIYA

3.) लक्ष्मी पत्नि गोमला हिस्सा- 1/5 जाति- भील सा. देह खातेदार

4.) लसाराम पुत्र गोमला हिस्सा- 1/5 जाति- भील सा. देह खातेदार हिस्सा-1/5 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ARTHWARA

5.) शंकरलाल पुत्र गोमला हिस्सा- 1/5 जाति- भील सा. देह खातेदार

संकेत :- [hatched box] - प्रस्तावित रास्ता जो देने योग्य है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:58 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ULPIN no : null

D.L.R पालडी M
21/04/2025

(पटवारी बागसीन)
21-4-25

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)